लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल
दूरभाषः 0755–2583650, फैक्सः 2583651, ई–मेलः coord-dpi@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक 18.10.18

क्रमांक/समन्वय/बी/2018/218

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   म0प्र0।
3. समस्त नोडल प्राचार्य,शा0उ0मा0वि0,विकासखंड मुख्यालय
   म0प्र0।

विषयः–वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनांक 08.10.2018 का कार्यवाही विवरण बावत्।

विषयान्तर्गत दिनांक 08.10.2018 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग का कार्यवाही विवरण संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

संचालक 18/10/18
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18.10.18

पृष्ठा0क्रमांक/समन्वय/बी/2018/219
प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल।
5. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
6. वरिष्ठ निज सहायक, अपर परियोजना संचालक (आरएमएसए) स्थानीय।
7. वरिष्ठ निज सहायक, संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
8. संबंधित अधिकारीगण लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।

संचालक 18/10/18
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

दिनांक 08/10/2018 को आयोजित बीडियो कान्फ्रेसिंग का कार्यवाही विवरण

दिनांक 08/10/2018 को आयुक्त लोक शिक्षण की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेसिंग मंत्रालय के कक्ष क्र 66 में आहूत की गई। बैठक में संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। उक्त वैठक में समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी उपस्थित हुए।

वीडियो कान्फ्रेसिंग में विभिन्न प्रकरणों एवं योजनाओं की समीक्षा की गई एवं निम्नानुसार निर्देश दिये गये :-

1. विधि प्रकरणों की समीक्षा :-

(I) श्री अंजनी कुमार त्रिपाठी, सहायक संचालक विधि द्वारा प्रकरणों की समीक्षा की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित अवमाना प्रकरणों में शीघ्र पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। उनके द्वारा बतलाया गया की यदि पालन करनें में कठिनाई आ रही है तो शीघ्र ही शासकीय अधिवक्ता का अभिमत सहित रिट अपील के लिये एकल नस्ती का प्रस्ताव समय सीमा में संचालनालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(II) इसके साथ ही वर्तमान में कनिष्ठ सेवा चयन वोर्ड से चयनित किन्तु मेरिट में न होने के कारण नियुक्ति नहीं पाने वाले व्यक्तियों द्वारा जो अवमानना प्रकरण/याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई हैं उनमें प्रत्यावर्तन प्रस्तुत करने हेतु उप-संचालक स्थापना-3 श्री नितिन सक्सेना द्वारा विस्तृत चर्चा करने के निर्देश दिए गए।

(III) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में वसूल के प्रकरणों में त्रुटीकर्ता अधिकारियों/कर्मचारियों का भी दायित्व निर्धारित करने हेतु एकल नस्ती में प्रस्ताव शीघ्र ही भेजे ताकि शासन के माध्यम से वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त कर समय सीमा में कार्यवाही की जा सके।

2. निःशुल्क साइकिल वितरण योजना की समीक्षा :-

(I) आयुक्त महोदया लोक शिक्षण द्वारा निःशुल्क साइकिल वितरण योजना की जिलेवार समीक्षा की गई जिसमें आयुक्त महोदया द्वारा पुरानी एवं नई साइकिलों के वितरण संबंधी साइकिलों के चेचिस नम्बर व उनकी असेम्बल आदि के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों से जानकारी ली गई एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया की आप अपने कार्यालय में साइकिल वितरण संबंधी जानकारी पहले रजिस्टर में दर्ज करें इसके बाद स्कूल

शिक्षा विभाग के पोर्टल पर दर्ज की जानी चाहिये। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक अपने जिलों की प्रत्येक हफ्ते में एक बार साईकिल वितरण संबंधी समीक्षा करें।

(II) विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी व्हाटसएप, ई–मेल आदि के माध्यम से अपने जिला शिक्षा अधिकारी को वितरण संबंधी जानकारी से अवगत् करायेगें एवं जिला शिक्षा अधिकारी भी इसी तरह अपने संभागीय संयुक्त संचालक को अवगत् करायेंगे व स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर वितरण संबंधी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जिससे भ्रम की स्थिति न बने व पारदर्शिता बनी रहे। महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि पोर्टल पर साईकिल के चेचिस नम्बर संबंधी फीडिंग जरूर होना चाहिये।

(III) आयुक्त महोदया द्वारा सभी अधिकारियों को चुनाव आचार संहिता की जानकारी देते हुये निर्देशित किया की स्कूल शिक्षा विभाग के फ्लेक्स, होर्डिंग आदि में मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री आदि के फोटो चस्पा न किये जायें, अन्यथा कि स्थिति में इसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होगे विभाग की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

3. अध्यापक संवर्ग की विभाग में नियुक्ति संबंधी समीक्षा :–

(I) आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा अध्यापक संवर्ग से नवीन संवर्ग में नियुक्ति की कार्यवाही के संबंध में जिलेवार समीक्षा की गई जिसमें। समीक्षा के दौरान पाया गया की प्रदेश के 15 जिलों में कार्यवाही न्यून है, इस संबंध में कोई भी प्रगति नहीं हुई है एवं आज दिनांक 08/10/2018 तक इन 15 जिलों से कोई भी जानकारी संचालनालय को प्राप्त नहीं हुई है।

सीधी, शिवपुरी, गुना, भिण्ड, आगर–मालवा, सिवनी आदि जिलों में कार्यवाही प्रचलन में तो हैं मगर द्रुत गति से कार्यवाही नहीं हो रही है। ग्वालियर संभाग की समीक्षा के दौरान जिला शिवपुरी की प्रगति काफी धीमी है। आयुक्त महोदया द्वारा ग्वालियर के संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को आदेशित किया गया की अपने कार्यालय से एक बाबू को जिला शिवपुरी शीघ्र रवाना किया जाये एवं कलेक्टर शिवपुरी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शिवपुरी परस्पर एवं दूसरे से समन्वय स्थापित करते रहें जरूरत पड़े तो मैं भी कलेक्टर शिवपुरी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शिवपुरी से चर्चा करूंगी।

(II) Digital Signature को छोड़कर, समस्त जिले व संभाग अपने–अपने स्तर से संविलियन की कार्यवाही पूर्ण कर लें। उन्होंने बतलाया की चुनाव आयोग को पत्र भेजा गया है , अगर चुनाव आयोग से अनुमति प्राप्त हो जाती है तो ही Digital Signature किये जायेंगे तदोपरान्त आदेश जारी किये जायेगे।

(III) आयुक्त महोदया द्वारा बतलाया गया की अध्यापक संवर्ग के कार्य हेतु एक डेडलाइन जारी की जाती है अर्थात् जिले स्तर पर (जिला शिक्षा अधिकारी) दिनांक 10/10/2018 एवं संयुक्त संचालक स्तर अर्थात् संभाग स्तर पर 12/10/2018 निर्धारित की जाती है। आयुक्त महोदया द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों एवं संयुक्त सचालकों को स्पष्ट हिदायत दी की **अगर इस कार्य में तनिक भी लापरवाही बरती जाती है तो इसका प्रभाव आपकी गोपनीय चरित्रावली (सीआर) पर पड़ेगा।** इसलिये जितना हो सके उतनी तेजी/ सावधानी एवं संवेदनशीलता के साथ इस कार्य को क्रियान्वित/कार्यान्वित करें।

(IV) सीधी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पृच्छा की गई की जिन अध्यापकों द्वारा कोर्ट में केस किया गया है उन अध्यापकों को संविलियत कैसे किया जाये एवं उनके आदेश केसे जारी किये जाये इस पर आयुक्त महोदया द्वारा कहा गया की जिन लोगों के प्रकरण कोर्ट में चल रहे हैं उनके आदेश जारी न किये जाये व उनकी फाइलें संचालनालय भेज दी जायें उन पर विचार संचालनालय करेगा। इस संबंध में प्रोग्रामर श्री सुमनकांत जी जैन द्वारा कहा गया की कृपया **Unique Id** बड़ी सावधानी के साथ भेजें। गलत **Unique ID** भेजने पर प्रकरण पर विचार करने पर हमें बड़ी परेशानी एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

(V) संयुक्त संचालक श्री रिजवी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी अशोकनगर, दतिया, उज्जैन को 11.10.2018 को अपनी फाइलों के साथ आने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार जबलपुर, सागर, सिवनी को अपनी फाइलें लेकर 12.10.2018 को एवं जिला बालाघाट, सिंगरोली, सागर को भी अपनी फाइलें लेकर 12.10.2018 को संचालनालय में आहूत किया गया है। आयुक्त महोदया द्वारा आदेशित किया की सिर्फ प्रत्येक जिले से एक बाबू व एक कम्प्यूटर आपरेटर ही संचालनालय आयें बाकी सहयोग हमारे संचालनालय के विशेष सेल के कर्मचारी करेंगे।

आयुक्त महोदया द्वारा यह भी कहा गया की इस संबंध में यदि कोई जानकारी व कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो आपके सहयोग के लिये संचालनालय के अधिकारी अपर संचालक श्री डी.एस कुशवाह एवं उप–संचालक श्री चोरगढ़े से दूरभाष पर सपंर्क किया जा सकता है एवं संचालनालय में जो विशेष सेल का गठन किया गया है उसमें नियुक्त अधिकारी व कर्मचारी भी आपको पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

4. स्थापना 01 व 02 से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा :–

(I) संयुक्त संचालक शीताशु शुक्ला द्वारा प्रकरणों के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी डिण्डोरी से पृच्छा करते हुये पूछा गया कि व्यवसायिक शिक्षक श्री दुर्गाप्रसाद व्यवहार के संबंध में आपको शासकीय अधिवक्ता से अभिमत लेने हेतु निर्देशित किया गया था अगर आपने शासकीय अधिवक्ता से अभिमत लिया है तो कृपया इस संचालनालय को इस प्रकरण के संबंध

में पत्र व ई–मेल के माध्यम से सूचित करें इस पृच्छा पर जिला शिक्षा अधिकारी डिंडोरी द्वारा बतलाया गया की शासकीय अधिवक्ता से अभिमत ले लिया गया है ,शासकीय अधिवक्ता द्वारा सुझाया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा जो दिशा निर्देश दिये गये हैं उन्हीं का पालन करना उचित होगा।

5. राष्ट्रपति पुरस्कार के संबंध में :–

(I) संयुक्त संचालक श्री शुक्ला द्वारा निर्देश दिए गए कि जो शिक्षक राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है उनको पारीबाहर पदोन्नति दिये जाने के संबंध में विगत दिनों समस्त जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों से जानकारी मांगी गई थी परन्तु आज दिनांक तक इस संबंध में कोई भी जानकारी इस कार्यालय को प्राप्त नही हुई है एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया गया की इस संबंध में शीघ्र इस कार्यालय को पत्र व ई–मेल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करायें। जिला शिक्षा अधिकारी शिवपुरी द्वारा इस संबंध में पृच्छा की गई की ट्राईवल विभाग में जो शिक्षक कार्यरत् हैं उनकी जानकारी भी एकत्रित कर भेजना है क्या? इस पर श्री शुक्ला द्वारा बतलाया गया कि नहीं सिर्फ शिक्षक संवर्ग/स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के संबंध में ही जानकारी भेजें।

(II) जिला भिण्ड के सत्यराम पारिया के Court of Contempt 329/2017 के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया की जल्द से जल्द इस संचालनालय को को जानकारी पत्र व ई–मेल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करावें इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने भी 20 बिन्दुओं पर जानकारी मांगी है। जिला मुरैना के श्यामबिहारी तोमर के संबंध में उनका गणना पत्रक आज दिनांक तक इस कार्यालय को अप्राप्त है । जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना को निर्देशित करते हुये कहा गया की श्री तोमर का गणना पत्रक समयसीमा में इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

6. छात्रावासों की समीक्षा :–

(I) अपर संचालक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान डॉ. कामना आचार्य द्वारा प्रदेश में दिनांक 02 अक्टूबर 2018 से उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए होने वाले बालक एवं बालिका छात्रावासों की जिलेवार समीक्षा की गई । एक औसत के अनुसार प्रदेश के अधिकतर जिलों में छात्रावासों में बालक–बालिकाओं के रहने व छात्रावासों के संचालित होने की प्रगति न्यूत प्रतीत हुई यह कार्य प्रदेश के जिलों में बहुत ही धीमी गति से चल रहा है।

(II) इस संबंध में आयुक्त लोक शिक्षण ने समस्त संभागीय संयुक्त संचालक व जिला शिक्षा अधिकारियों से गहरी नाराजगी व्यक्त की उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारियों को चेतावनी दी की अगर आने वाले दिनों में छात्रावासों की अर्थात् बिल्डिंग, पलंग, बिस्तर, वार्डन, आदि की

समुचित व्यवस्था नहीं की जाती है या लापरवाही बरती जाती है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होगे एवं आयुक्त/संचालनालय स्तर से उस जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया जायेगा, इसलिये बेहतर होगा आप इस कार्य के प्रति अति संवेदनशीलता दिखायें।

(III) छात्रावासों के संचालन के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों ने भी आयुक्त महोदया के समक्ष अपनी समस्या रखते हुये बतलाया की कलेक्टर द्वारा बालक छात्रावास के लिये किराया 19 हजार रू प्रतिमाह निर्धारित किया गया है एवं बालिका छात्रावास के लिये किराया 35 हजार रू निर्धारित है परन्तु हमें जिलों में बिल्डिंग बहुत ही महगें किराये के दामों पर मिल रही हैं इस पर अपर संचालक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान , सुश्री कामना आचार्य द्वारा सुझाव दिया गया की आप कोशिश करें की आपको कोई शासकीय भवन किराये पर मिल जाये।

7. **अध्यापक पेंशन योजना की समीक्षा :–** अध्यापकों की मासिक पेंशन अंदान की राशि एनएसडीएल मुम्बई में जमा करने हेतु विभिन्न जिलों से चालान अप्राप्त है के संबंध में चर्चा की गई एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में अवगत् कराया गया कि:–

(I) अध्यापक संवर्ग के मासिक अंशदान की राशि माह अप्रैल 2017 से अध्यापकों के खाते में जमा करने के लिये चालाना एवं चालाना में दर्शाई गई राशि निर्धारित बैंक खाते में जमा करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गये थे इस संबंध में संबंधित डीडीओ द्वारा अप्रैल 2017 से बैंक खाते में कितनी राशि जमा की गई की अद्यतन जानकारी अप्राप्त है। जानकारी उपलब्ध कराने हेतु जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

जिलों के अध्यापक जिन्हें प्रान कार्ड/प्रान नंबर आवंटित नहीं किए गये उनकी संख्या एवं आवंटित न कराने के कारण पर प्रकाश डाला गया। अध्यापकों के पेन एवं आधार नंबर अपडेट किये जाने पर निर्देश दिए गए। सीएम हेल्पलाईन में दर्ज अध्यापकों के पेंशन योजना से संबंधित लंबित शिकायतों की संख्या एवं लंबित होने की समीक्षा की गई तथा तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए गए।

8. **समेकित छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा :–**

(I) आयुक्त लोक शिक्षण ने वर्ष 2018–19 की मेपिंग एवं प्रोफाइल अपडेशन की जिलेवार समीक्षा करते हुये अवगत् कराया कि गतवर्ष की 1.45 करोड़ की तुलना में अद्यतन 1.35 करोड़ विद्यार्थियों की मेपिंग की गई है लेकिन प्रोफाइल अपडेशन केवल 75.35 लाख विद्यार्थियों का हुआ है। शीघ्र मेपिंग प्रोफाइल अपडेशन का पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

(II) संचालनालय के स्मरण पत्र क्र 425, दिनांक 24/09/2018 द्वारा डॉ ए.पी.जे अब्दुल कलाम छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 की छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण क जानकारी अंतिम रूप से दिनांक 26.09.2018 तक गूगल ड्राइव पर प्रविष्ट किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु अद्यतन भी जिलों द्वारा गूगल ड्राइव पर प्रविष्ट नहीं की गई। जानकारी दिनांक 12/10/2018 तक प्रविष्ट किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(III) संचालनालय के पत्र क्र 430, दिनांक 28/09/2018 द्वारा वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक डॉ ए.पी.जे अब्दुल कलाम छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत विद्यार्थियों को लाभ से वचित रखने विषयक ऑडिट पैरा की जानकारी दिनांक 01.10.2018 तक संचालनालय को प्रेषित किये जाने हेतु लिखा गया था किन्तु अद्यतन भी जिलों से जानकारी अप्राप्त है जानकारी दिनांक 12.10. 2018 तक अनिवार्यतः संचालनालय को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(IV) पूर्व वर्षों में मेपिंग एवं प्रोफाइल अपडेशन नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति से वचित होने विद्यार्थियों के प्रकरणों के एकजाई निराकरण हेतु मेपिंग/प्रोफाइल से वंचित विद्यार्थियों की (वर्ष 2013–17 से 2016–17) तक की जानकारी प्रपत्र–1 में गूगल ड्राइव पर अंकित करने एवं छात्रवृत्ति पात्रता विषयक जानकारी प्रपत्र–2 में संचालनालय को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु प्रपत्र–1 की जानकारी जिला–बैतूल, डिंडोरी, ग्वालियर, कअनी, खरगौन, रतलाम,सागर,सीहोर,सिवनी,नरसिंहपुर,उज्जैन,रीवा,रायसेन,धार,अशोकनगर,सीधी,बड़वानी,खण्डावा, भिण्ड,भोपाल,सिंगरोली,झाबुआ,देवास द्वारा गूगल ड्राइव पर प्रविष्ट की गई है एवं प्रपत्र–2 की जानकारी जिला सागर,सिवनी,धारा,खरगोन,दमोह द्वारा संचालनालय को प्रेषित की गई है। अतः उक्त जानकारी दिनांक 29/09/2018 तक गूगल ड्राइव पर प्रविष्ट किये जाने एवं संचालनालय को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया। लगभग 05 माह का समय दिये जाने के उपरांत भी जानकारी प्रविष्ट नहीं की गई है। दिनांक 12/10/2018 तक प्रविष्ट नहीं किये जाने पर इन जिलों में निरंक प्रकरण लंबित मान कर कार्यवाही की जायेगी। भविष्य में प्रकरण उद्‌भूत होने पर संबंधित जिलों का उत्तरदायित्व होगा।

संचालनालय के स्मरण पत्र क्र 423, दिनांक 24/09/2018 द्वारा समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2016–17 की छात्रवृत्ति लंबित जानकारी अंतिम रूप से दिनांक 26/09/2018 तक अनिवार्यतः गूगल ड्राइव पर प्रविष्ट किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु जिलों द्वारा अद्यतन भी गूगल ड्राइव पर प्रविष्ट नहीं की गई है। जानकारी दिनांक 12/10/2018 तक गूगल ड्राइव पर प्रविष्ट किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। समस्त जिले समग्र शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध वर्ष 2016–17 की जानकारी से परीक्षण कर सही विवरण प्रविष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया।

समेकित छात्र वृत्ति योजना से संबंधित उक्तानुसार जानकारी दिनांक 12/10/2018 तक गूगल ड्राइव पर प्रविष्ट किये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं अवगत् कराया गया की उक्त दिनांक के उपरांत गूगल ड्राइव पर शेयर सभी सीट पृथक कर ली जायेगी।

अंत में धन्यवाद् के साथ बैठक समाप्त हुई।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश